न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

2019RAAJu23RTA018 Chensingh etc Vs Pabudansingh etc

(1)2019RAAJu23RTA017 Chensingh etc Vs Pabudansingh etc

1. चैनसिंह पुत्र पन्नेसिंह राजपूत
2. श्रीमती विजयकंवर पत्नी पन्नेसिंह राजपूत
3. हरिसिंह गोद पुत्र शैतानसिंह राजपूत

निवासीगण पदमगढ (सोलंकियातला), तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर

----- अपीलाण्ट्स

ब

ना

म

1. पाबूदानसिंह पुत्र राणीदानसिंह
2. सोहनसिंह पुत्र राणीदानसिंह
3. हुकमसिंह पुत्र राणीदानसिंह
4. रेवतसिंह पुत्र राणीदानसिंह
5. बलवन्तसिंह पुत्र स्व. हमीरसिंह राजपूत
6. ईश्वरसिंह पुत्र स्व. हमीरसिंह राजपूत
7. देवीसिंह पुत्र स्व. पन्नेसिंह राजपूत

सभी निवासीगण ग्राम पदमगढ (सोलंकियांतला) तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर

8. राजस्थान राज्य, जरिये तहसीलदार शेरगढ, जिला जोधपुर

----- रेस्पो.

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी शेरगढ दिनांक कमशः 22 अप्रेल 2003 व 23 मई 2003 राजस्व वाद संख्या 213/2002 राणीदानसिंह के का.मु. व अन्य बनाम हमीरसिंह इत्यादि

----- 0 -----

2019RAAJu23RTA018 Chensingh etc Vs Pabudansingh etc

1. चैनसिंह पुत्र पन्नेसिंह राजपूत
2. श्रीमती विजयकंवर पत्नी पन्नेसिंह राजपूत

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

3. ळरिसिंह गोद पुत्र शैतानसिंह राजपूत
निवासीगण पदमगढ (सोलंकियातलां),
तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर

----- अपीलाण्ट्स

ब

ना

म

1. पाबूदानसिंह पुत्र राणीदानसिंह
2. सोहनसिंह पुत्र राणीदानसिंह
3. हुकमसिंह पुत्र राणीदानसिंह
4. रेवतसिंह पुत्र राणीदानसिंह
5. बलवन्तसिंह पुत्र स्व. हमीरसिंह राजपूत
6. ईश्वरसिंह पुत्र स्व. हमीरसिंह राजपूत
7. देवीसिंह पुत्र स्व. पन्नेसिंह राजपूत
सभी निवासीगण ग्राम पदमगढ (सोलंकियांतलां)
तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर
8. राजस्थान राज्य, जरिये तहसीलदार शेरगढ, जिला जोधपुर

----- रेस्पो.

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी शेरगढ दिनांक 11 जून 2004 राजस्व वाद संख्या 213/2002 राणीदानसिंह के का.मु. व अन्य बनाम हमीरसिंह इत्यादि

----- 0 -----

उपस्थित-

श्री उम्मेदसिंह बांवरला, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री जगदीश प्रजापत, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या तीन व चार
श्री दूदाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या आंठ
अन्य रेस्पो. बावजूद सूचना अनुपस्थित

नि र्ण य

दिनांक : 14 जनवरी, 2020

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलाण्टस ने यह अपीले विद्वान उपखण्ड अधिकारी, शेरगढ द्वारा राजस्व वाद संख्या 213/2002 स्व. राणीदानसिंह के कायममुकाकान व अन्य बनाम हमीरसिंह इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक कमशः 22 अप्रेल 2003 एवं 23 मई 2003 व 11 जून 2004 के खिलाफ अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 22 फरवरी 2019 को पेश की है।

अपील के साथ भारतीय समय सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत एक प्रार्थनापत्र मय शपथ पत्र पेश कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

इस प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो. संख्या एक से चार के पिता ने एक राजस्व वाद आराजी खसरा संख्या 818 रकबा 14 बीघा 04 बिस्वा, खसरा संख्या 828 रकबा 58 बीघा 01 बिस्वा, खसरा संख्या 828मी रकबा 58 बीघा 01 बिस्वा, खसरा संख्या 895 रकबा 74 बीघा 11 बिस्वा, खसरा संख्या 824 रकबा 07 बिस्वा गैरमुमकिन ढाणी, खसरा संख्या 826 रकबा 1 बीघा 07 बिस्वा गैरमुमकिन टांका वाके मौजा पद्मगढ तहसील शेरगढ और आराजी खसरा संख्या 1007 रकबा 23 बीघा 12 बिस्वा वाके मौजा केरला तहसील शेरगढ में वादी-रेस्पो. संख्या एक (रेस्पो. संख्या 1ए से 1डी) का ¼ हिस्सा, अपीलाण्ट तथा रेस्पो. संख्या 5 से 7 का ¾ हिस्सा जाहिर करते हुए माप एवं सीमांकन के आधार पर विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा की डिकी जारी कराये जाने हेतु पेश किया जिसमें यह भी बताया कि पक्षकारान के मध्य आपसी सहमति से बंटवारा हो चुका है, मगर राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है, अतः दर्ज किया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उक्त वाद का प्रतिवादीगण 2 व 3 की ओर से जबाबदावा पेश किया गया, दावे एवं जबाब के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निम्नलिखित तनकियात कायम की गयी --

1. आया वादी वादग्रस्त भूमि में ¼ हिस्से का खातेदार है एवं वाद के पद संख्या 2 व 3 में वर्णित भूमि का जोत विभाजन बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स कराने का अधिकारी है? (जिम्मे वादी)
2. आया वादीगण वादग्रस्त भूमि जो वाद के पद संख्या 2 व 3 में वर्णित है, के संबंध में प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी कराने के अधिकारी है? (जिम्मे वादी)
3. वाद में आवश्यक पक्षकार बनाये नहीं जाने से वाद वादीगण चलने योग्य नहीं है? (जिम्मे प्रतिवादी)

तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारान की साक्ष्य सुनवाई कर दिनांक 22 अप्रेल 2003 को उक्त दावा स्वीकार कर दिनांक 23 मई 2003 को प्राथमिक डिकी जारी की गयी और विभाजन प्रस्ताव तलब किये गये। जिसके खिलाफ अपील संख्या 2019RAAJu23RTA017 Chensingh etc Vs Pabudansingh etc अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 22 फरवरी 2019 को प्रस्तुत की गयी है।

प्राथमिक डिकी की पालना में विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हो जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय एवं फाइनल डिकी दिनांक 11 जून 2004 को पारित किये गये, जिसके खिलाफ अदालत हाजा के समक्ष अपील संख्या 2019RAAJu23RTA018 Chensingh etc Vs Pabudansingh etc पेश की गयी है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट्स ने दोनों अपीलों के संबंध में अपनी संयुक्त बहस

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

में तथ्यों एवं अपील मीमों में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि--

- वादी रेवंतसिंह के अतिरिक्त राणीदानसिंह के तीन अन्य पुत्र पाबूनसिंह, सोहनसिंह और हुकमसिंह भी है, यदि रेवन्तसिंह वादग्रस्त आराजियात में अपना हक एवं अधिकार मानता है तो उसके अन्य तीनों भाइयों का भी उक्त आराजियात में उसी के समान हक व अधिकार बनता है। ऐसी स्थिति में रेवन्तसिंह के उक्त तीनों भाई इस मामले में आवश्यक पक्षकार होते हुए भी वाद में पक्षकार नहीं बनाये जाने से मूल दावा ही चलने योग्य नहीं रहता है। अधीनस्थ न्यायालय में तनकी संख्या तीन इसी संबंध में विरचित की गयी थी, मगर अपीलाधीन निर्णय तनकीवार विवेचन एवं विश्लेषण कर पारित नहीं किया गया। अतः अपीलाधीन निर्णय इसी आधार पर खारिज किये जाने योग्य है।
- इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय में वाद विचाराधीन रहने के दौरान ही प्रतिवादी संख्या एक हमीरसिंह तथा प्रतिवादीगण सख्या दो व तीन शैतानसिंह व पन्नेसिंह का देहान्त हो गया था, मगर इन प्रतिवादीगण के कायममुकामान को प्रकरण में अभिलेख पर लिये बिना ही मामले में अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी पारित कर दिये गये, जो मृतक पक्षकारान के खिलाफ पारित निर्णय होने के कारण काबिले खारिज है।
- अपीलाधीन निर्णय एवं फाइनल डिकी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 एवं राजस्थान

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत संयुक्त खातेदारी की भूमि के विभाजन हेतु विभाजन प्रस्ताव संबंधित तहसीलदार स्वयं द्वारा मौके पर सहखातेदारान की उपस्थिति में तैयार किये जाने चाहिये, मगर आलौच्य मामले में विभाजन प्रस्ताव बनाये जाने हेतु संबंधित तहसीलदार की बजाय भू-अभिलेख निरीक्षक को यह कार्य सौंपा गया है और उसी के द्वारा यह कार्य निष्पादित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद पक्षकारान को ऐसी मौका रिपोर्ट के संबंध में अपनी सहमति अथवा असहमति जाहिर करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया हैं। इतना ही नहीं, विभाजन प्रस्ताव में पक्षकारान द्वारा जो एतराज उठाये गये थे एवं जिनका वर्णन मौका फर्द कमिश्नर में भी किया गया है, उनके संबंध में भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई समाधान किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय एवं फाइनल डिकी जारी कर दिये गये है, जो न्यायोचित, विधिसम्मतः एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 18 से 21 के अनुकूल नहीं है।

- मियाद के संबंध में अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में उनकी ओर से नियुक्त अधिववता द्वारा वादी के स्वास्थ्य की परेशानी को ध्यान में रखते हुए कहा था कि आपको प्रत्येक पेशी पर आने

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

की आवश्यकता नहीं है,जब जरूरत होगी, तो आपको सूचित कर बुलवा लेंगे। मगर उसके बाद उनकी ओर से कोई सूचना या बुलावा नही आया। वाद अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन रहते ही अपलाण्ट के पिता पन्नेसिंह का देहान्त हो गया। अपीलाण्ट संख्या एक ने इसके बाद अपने पिता के अधिवक्ता से संपर्क कर जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया, मगर अधिवक्ता द्वारा जानकारी प्रदान नहीं की गयी। उसके बाद हाल ही में रेस्पो. संख्या एक से चार ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थनापत्र पेश किया जिसका नोटिस अपीलाण्ट को मिलने पर अपीलाण्ट्स को प्रथम बार अपीलाधीन निर्णय की जानकारी हुई और नकलें आदि लेने की कार्यवाही कर अपीलाण्ट्स ने दिनांक जानकारी की दिनांक से निर्धारित समय सीमा के भीतर आलौच्य अील अदालत हाजा के समक्ष पेश कर दी है, जो मियादशुमार की जावे और गुणावगुण पर अपील स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किया जावें।

जबाब में रेस्पो. की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने अपीलाधीन निर्णय का समर्थन करते हुए कथन किया कि--

- अपीलाण्ट्स द्वारा आलौच्य अपील अत्याधिक विलम्ब से पेश की गयी है और विलम्ब कण्डोन किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय समय सीमा अधिनियम में विलम्ब का कोई संतोषजनक कारण भी स्पष्ट नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री की पालना में विभाजन प्रस्ताव 09 सितम्बर 2003 मौके पर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर.

पक्षकारान की उपस्थिति में तैयार किये गये, उक्त विभाजन प्रस्ताव पर अपीलाण्ट चैनसिंह के हस्ताक्षर है, अतः मियाद प्रार्थनापत्र अदालत हाजा के समक्ष गलत तथ्यों पर आधारित पेश किया गया है, जो स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

- इसके अलावा भी शैतानसिंह के देहान्त के बाद उसके दत्तक-पुत्र अपीलाण्ट संख्या तीन हरिसिंह ने अपने पक्ष में फौतेदगी म्युटेशन संख्या 208 दिनांक 20 अगस्त 2011 स्वीकृत करवाया, तब भी अपीलाधीन निर्णय की जानकारी हो चुकी थी। अपीलाण्ट के पिता पन्नेसिंह के फौत होने पर भी अपने पक्ष में म्युटेशन भरने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जिसके आधार पर म्युटेशन संख्या 316 दिनांक 20 मार्च 2014 स्वीकृत किया जाकर पन्नेसिंह के वारिसान चैनसिंह, देवीसिंह व विजयकंवर के नाम से स्वीकृत किया गया। इस प्रकार अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री तथा फाइनल डिक्री सब की जानकारी अपीलाण्ट्स को भली भांति हो चुकी थी। रेस्पो. संख्या एक से चार द्वारा अपने हिस्से में आयी भूमि के सीमांकन करके तारबंदी करवाने के लिए जो कार्यवाही की जा रही थी, उसको विलम्बित करने एवं उसमें बाधा उत्पन्न करने के लिए प्रार्थीगण ने प्रपंच रचा है। अतः मय खर्चा खारिज की जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अवलोकन किया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जहॉ तक अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब का प्रश्न है, इस संबंध में अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय समय सीमा अधिनियम में प्रावधान है कि

Section 5 in The Limitation Act, 1963

5 Extension of prescribed period in certain cases. —Any appeal or any application, other than an application under any of the provisions of Order XXI of the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), may be admitted after the prescribed period, if the appellant or the applicant satisfies the court that he had sufficient cause for not preferring the appeal or making the application within such period.

Explanation.— The fact that the appellant or the applicant was misled by any order, practice or judgment of the High Court in ascertaining or computing the prescribed period may be sufficient cause within the meaning of this section.

अर्थात भारतीय समय सीमा अधिनियम की धारा 5 में यह प्रावधान किया गया है कि यदि प्रार्थी द्वारा न्यायालय को यह विश्वास दिला दिया जावे कि विलम्ब सद्भाविक, समुचित एवं संतोषजनक अपरिहार्य कारणों से हुआ है, जो कि प्रार्थी/अपीलाण्ट के वश में नहीं थे और ऐसा विलम्ब जानबूझ कर किसी लापरवाही या प्रमादवश नहीं किया गया, तो न्यायालय द्वारा न्यायहित में विलम्ब को क्षमा किया जा सकता है। आलौच्य मामले में अपीलाण्ट्स द्वारा अपील पेश करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय समय सीमा अधिनियम का अध्ययन करने पर पाया जाता है कि उक्त प्रार्थनापत्र में अपीलाण्ट द्वारा अपीलाधीन निर्णय बाबत जानकारी तब होना जाहिर किया गया है, जबकि रेस्पो. संख्या एक से चार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थनापत्र पेश करने पर अपीलाण्ट्स को नोटिस मिला और

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलाण्ट्स ने अपने अधिवक्ता से 01 फरवरी 2019 को सम्पर्क किया तथा अधिवक्ता श्री विजयनाथ द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी बाबत उन्हें जानकारी दी गयी, तो अपीलाण्ट्स द्वारा गांव जाकर अपने भाईयों से सलाह मशविरा कर और धनराशि की व्यवस्था कर जोधपुर आकर 12 फरवरी 2019 को नकलों हेतु आवेदन किया और 14 फरवरी 2019 को नकलें प्राप्त हुई। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि विभाजन प्रस्ताव दिनांक 09 सितम्बर 2993 पर अपीलाण्ट चैनसिंह के हस्ताक्षर है।

शैतानसिंह के देहान्त के बाद उसके दत्तक-पुत्र अपीलाण्ट संख्या तीन हरिसिंह ने अपने पक्ष में फौतेदगी म्युटेशन संख्या 208 दिनांक 20 अगस्त 2011 स्वीकृत करवाये जाने के समय भी अपीलाधीन निर्णय की जानकारी हो जाने के तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता है।

ठतना ही नहीं, स्वयं अपीलाण्ट्स संख्या एक व दो के पिता पन्नेसिंह के फौत होने पर भी अपने पक्ष में म्युटेशन भरने के लिए उनके द्वारा जो प्रार्थना पत्र पेश किया गया एवं जिसके आधार पर म्युटेशन संख्या 316 दिनांक 20 मार्च 2014 स्वीकृत किया जाकर पन्नेसिंह के वारिसान चैनसिंह, देवीसिंह व विजयकंवर के नाम से स्वीकृत किया गया, उस वक्त भी अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी बाबत अपीलाण्ट्स को जानकारी नहीं हुई हो, यह कतई मानने योग्य नहीं है क्योंकि भरे गये म्युटेशन में खसरा नम्बरान का किया गया वर्णन अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी के फलस्वरूप किये गये विभाजन के बाद निर्मित नये खसरा नम्बरान एवं रकबे अनुसार है।

इस प्रकार अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिकी तथा फाइनल डिकी सब की जानकारी अपीलाण्ट्स को काफी समय पूर्व ही भली भांति हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में भारतीय समय सीमा अधिनियम की धारा 5

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाया जाता है।

अतः प्रस्तुत दोनों अपीलों में से अपीलाधीन निर्णय 22 अप्रेल 2003 एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 23 मई 2003 के खिलाफ प्रस्तुत अपील संख्या (1)2019RAAJu23RTA017 Chensingh etc Vs Pabudansingh etc मियाद बाधित होने से तदनुसार मियाद के बिन्दु पर ही खारिज की जाती है।
मगर जहॉ तक निर्णय एवं फाइनल डिक्री दिनांक 11 जून 2004 के खिलाफ प्रस्तुत अपील संख्या (1)2019RAAJu23RTA018 Chensingh etc Vs Pabudansingh etc का प्रश्न है, इस संबंध में विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन करने पर पाया जाता है कि उसमें स्पष्ट वर्णित किया गया है कि

- ***उक्त नजरी नक्शा के अनुसार खसरा नम्बर 818, 826, 1007, 895 में कोई विवाद नहीं है। खसरा नम्बर 828 में दर्शाया गया (ए) जगह पाबूदानसिंह वगैरह की लगभग 14 बीघा भूमि काश्त है व दर्शाये गये स्थान (बी) स्थान पर इनकी रहवासीय ढाणी है। प्रार्थीगण ढाणी (बी) के पास खसरे की शेष भूमि लेना चाहते है। जो कि विवाद का विषय है। चूंकि खसरा संख्या 828 का रकबा 58 बीघा 5 बिस्वा बारानी अव्वल है व 58 बीघा 5 बिस्वा बारानी दोयम कुल रकबा 116 बीघा 10 बिस्वा में प्रार्थीगण का स्थान (ए) से कब्जे के अलावा शेष हिस्से में आने वाली भूमि स्थान (बी) पर लेना चाहते है। जिससे अप्रार्थीगण पन्नेसिंह वगैरह सहमत नहीं है।***

अपील स्तर पर भी पक्षकारान द्वारा जाहिर किया गया है कि जो भू-भाग उन्हें दिया गया है, उस भूभाग में उनके निवास की ढाणियां उन्हें प्राप्त नहीं हुई है। अतः ऐसी स्थिति में खसरा संख्या 828 से संबंधित पक्षकारान के मध्य विवाद रह गया है। फलस्वरूप न्यायहित में मात्र

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

खसरा संख्या 828 के संबंध में रहवासीय ढाणियों संबंधित समस्या का समाधान किये जाने के प्रयोजनार्थ मियाद के संबंध में अपीलाण्ट्स के प्रति सहानुभूति बरतते हुए अपील संख्या (1)2019RAAJu23RTA018 Chensingh etc Vs Pabudansingh etc मियादशुमार की जाकर आंशिक तौर पर स्वीकार की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं फाइनल डिकी मात्र खसरा संख्या 828 के संबंध में अपास्त किये जाकर शेष खसरा नम्बरान बाबत यथावत रखते हुए प्रकरण इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाता है कि मौके पर पक्षकारान की उपस्थिति में उनकी रहवासीय ढाणियों को उन्हे विभाजन में दी जाने वाली भूमि में ही रखते हुए परस्पर रकबे में होने वाली कमी-बेशी को प्रभावित भू-भागों में सें ही समायोजित कर संबंधित तहसीलदार से खसरा संख्या 828 बाबत विभाजन प्रस्ताव तैयार कर मंगवाये जावे और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 और राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 18 से 21 की पालना सुनिश्चित करते हुए विधिसम्मतः रूप से फाइनल डिकी जारी की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर